अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2017 अनवानी श्री ताराचन्द बिश्नोई पुत्र श्री गोपालराम बिश्नोई, जाति बिश्नोई, निवासी मकान न0 899, गली न0 7, एसएसबी रोड, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर, बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25-07-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री ताराचंद बिश्नोई उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.04.17 के द्वारा जिला रसद अधिकारी से चाही गई सूचना, उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाकर 25. रूपए प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति दिलवाई जावे।

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उसे उत्तर दिनांक 17.05.17 को समय अवधि में भिजवा दिया गया था अपीलार्थी द्वारा चाही गई राशन कार्ड सं0 200000019171 की सूचना रिकार्ड में डिलीट होने से उपलब्ध नही करवाई गई है एवं शेष सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है जो राशन कार्ड धारक की सहमति के बिना देय नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री ताराचंद बिश्नोई ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.04.2017 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

1. राशन कार्ड नं. 200000019171 के सदस्य कौन-कौन है?
2. अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2017 तक प्रत्येक महीने में उक्त राशनकार्ड पर कौन-कौन सा राशन व कितनी मात्रा में लिया गया था।

3-उक्त राशन कार्ड पर प्रत्येक व्यक्ति को कितना राशन मिलता है? व कौनसा राशन या सामान कितनी मात्रा में मिलता है?

उपरोक्त सूचना की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 4521 दिनांक 07.08.15 प्रस्तुत किया है कि उनके कार्यालय के पत्र संख्या 3047 दिनांक 17.05.2017 द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है कि राशन कार्ड सं0 200000019171 संजय कुमार सहारण के नाम से है जो वर्तमान में डिलीट है एवं शेष सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है जो राशन कार्ड धारक की सहमति के बिना देय नही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नही होने के बावजूद भी अपीलार्थी को बिन्दुवार उत्तर दिया जा चुका है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

शा०/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 1 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है किन्तु बिन्दु सं0 2 व 3 पर कोई स्पष्ट निर्णय नही लिया गया है। बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना की हद तक अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना की हद तक अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1582-83
18-8-17

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर